प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में बहुउद्देशीय (आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/ग्रुप हाउसिंग/मल्टी प्लेक्स/पैट्रोल पम्प इत्यादि) भूखण्ड़ों का नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु नियम व शर्ते निम्नवत् है :–

क्र0 सं0		नियम व शर्ते		**Terms and Conditions**
पात्रता :			WHO CAN APPLY:	
1.	(i)	व्यवसायिक भूखण्ड, कन्वीनियेन्ट शॉपिंग भूखण्ड, सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड, कियोस्क भूखण्ड, आर्ट गैलरी भूखण्ड, आवासीय भूखण्ड, दुकान भूखण्ड तथा आवासीय भवन, दुकान, हॉल एवं अन्य हेतु कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसका विधिक व्यक्तित्व हो, आवंटन हेतु प्रस्तावित नीलामी में भाग ले सकते है।	(i)	Commercial plot, convenient shopping plot, community centre plot, kiosk plot, art gallery plot, residential plot shop plot and residential building, shop hall and any other person/organization having legal personality can participate in the proposed auction for allotment.
	(ii)	पैट्रोल पम्प भूखण्डों हेतु केवल पैट्रोलियम कम्पनी एवं उनके अधिकृत लाइसैंस होल्डर (लैटर ऑफ इन्टैन्ट होल्डर) नीलामी में भाग ले सकते है।	(ii)	Only petroleum Companies and their authorized license holders (Letter of intent holder) can participate in the auction Petrol pump Plots.
	(iii)	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम भूखण्ड की नीलामी हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इन्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सक अथवा हॉस्पीटल संचालित करने हेतु गठित कम्पनी/सोसायटी/फर्म ही नीलामी में प्रतिभाग कर सकते है।	(iii)	For the auction of hospital/nursing home plot, a doctor recognized by the the Medical Council of India or Company Society/ Firm set up to operate the hospital can only apply for allotment.
	(iv)	फार्मा एवं इण्डस्ट्री भूखण्डों हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्माण से पूर्व प्राप्त करना होगा।	(iv)	For pharma and industries plots, Pollution control board's no objection certificate will have to be obtained before construction.
	(v)	आवेदक/बोलीदाता को आवेदन पत्र के साथ विवरण पुस्तिका में संलग्न प्रारूप पर इस आशय का नोटराइज्ड शपथ–पत्र संलग्न करेगा कि उसकी हैसियत ऐसी है कि वह बोली मे सफल होने पर सम्पत्ति के आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम है।	(v)	The Applicant/Bidder shall attach a notarized affidavit on the format attached in the prospectus along with the application form to the effect that his/her capacity is such that he/she is capable of making the requisite payment as a result of allotment of the property if the bid succesful.
	(vi)	प्रस्तावित कम्पनियों, गैर पंजीकृत फर्म तथा ज्वॉइन्ट हिन्दू फैमिली के नाम सम्पत्ति विक्रय नहीं की जायेगी। ऐसा पाये जाने पर भूखण्ड का विक्रय विलेख व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में व्यक्तिगत रुप में निष्पादित किया जायेगा। भारतीय कम्पनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म/कम्पनियाँ नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत हैं। उक्त फर्म/कम्पनियों के पक्ष में भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया जायेगा। एक बार आवंटन के बाद फर्म/कम्पनी का नाम परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।	(vi)	The properties will not be sold in the name of proposed companies, unregistered firms and Joint Hindu families. If found so, the sale deed of the plot will be executed personally in favor of the person/persons. Firm/companies registered under the Indian Companies Act or any other Act are eligible to participate in the auction. The sale deed of the plot will be executed in favor of the said firm companies. Change of name of the firm/company will not be permitted once allotment is made.
	(vii)	शासनादेश सख्या–378/9–आ–1–सम्पत्तियाँ/आ0ब0/2000आवास अनुभाग–1 लखनऊ दिनाँक 20.06.2001 के अनुसार किसी भी बोली में कम से कम दो बोलीदाता होगें। विशेष परिस्थितियों में एक बोलीदाता की बिड पर भी विचार किया जा सकता है परन्तु इसके लिए उसकी पूर्ण विवेचना जैसे प्रश्नगत सम्पत्ति कितनी बार नीलामी में लगायी गयी है तथा कितनी बोली आयी थी, सम्पत्ति में क्या खराबी अथवा क्या अच्छाई है करने के बाद ही विषय उपाध्यक्ष को अग्रसारित किया जायेगा जिस पर उपाध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।	(vii)	According to Government Order 378/9-AA-1-Sampatiya/aa.b./ 2000 housing section1 Lucknow dated 20.06.2001, there shall be least two bidders in any bid. Under special circumstances. a bidder's bid can also be considered, under special circumst- ances analysis has to be made as to how many times the property has been put to auction, what are the defects in property and what bid amount has come in the previous bid process after that report will be forwarded to Vice Chairman who will the final authority. The details of the plots/building offered for auction are asper the table.
	(viii)	कम्पनी/फर्म/सोसायटी आदि के पंजीकृत कन्सोर्शियम द्वारा भूखण्ड हेतु आवेदन करने की दशा में :	(viii)	In case of plot is applied by a registered consortium of companies/firms/societies :-
	(a)	पंजीकृत कन्सोर्शियम के सदस्यों को एक लीड मैम्बर नियुक्त करना होगा जो कि प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत हो। लीड मैम्बर का शेयर 26 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा कन्सोर्शियम के लीड मैम्बर की शेयर होल्डिंग, प्रोजेक्ट के कम से कम एक फेस के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने तक परिवर्तित नहीं की जायेगी। कन्सोर्शियम के प्रत्येक सदस्य जिनकी शेयर होल्डिंग 10 प्रतिशत से कम ना हो, कन्सोर्शियम के रिलीवेन्ट मैम्बर होंगे। कन्सोर्शियम के लीड मैम्बर को भारतीय कम्पनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत भारत में पंजीकृत होना आवश्यक है।	(a)	Members of consortium will have to specify one lead member who alone shall be authorized to correspond with the Authority. Lead member should be the single largest share holder having at least 26% share in the consortium. The share holding of the lead member in the consortium shall remain unchanged till the temporary occupancy/completion certificate of at least one phase of the project is obtained from the Authority. Each member of the consortium with a stake at least 10% will be considered as the relevant member. The lead member of the consortium must necessarily be a firm/company registered in India with appropriate statutory authority.

(b)	पंजीकृत कन्सोर्शियम द्वारा आवेदन पत्र के साथ मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेंट (एम0ओ0ए0) प्रस्तुत करेंगे, जिसमें भूखण्ड आवंटित होने की दशा में कन्सोर्शियम में धन की उपलब्धता तथा प्रोजेक्ट पूर्ण किये जाने हेतु प्रत्येक मैम्बर की भूमिका एवं दायित्व का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। एम0ओ0ए0 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना होगा कि प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु कन्सोर्शियम के सभी मैम्बर संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। एम0ओ0ए0 मूलरूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जो कि सक्षम अथोरिटी से नियमानुसार रजिस्टर्ड/नोटराईज्ड होगा।	(b)	In case of consortium, the members shall submit a memorandum of Agreement (MOA) with the application letter conveying their intent to jointly apply for the scheme, and in case the plot is allotted to them, the MOA shall clearly define the role and responsibility of each member in arranging the debt and equity for the project and its implementation. The MOA should state that all the members shall be jointly and severally responsible for successful implement of the project. MOA should be submitted in original duly registered/notarized with appropriate authority.
(c)	पंजीकृत कन्सोर्शियम के सदस्य एक रजिस्टर्ड/नोटराईज्ड मेमोरेण्डम एग्रीमेन्ट (एम0ओ0ए0) प्रस्तुत करेंगे, जिसमें भूखण्ड हेतु संयुक्त रूप से आवेदन किये जाने का उल्लेख होगा एवं भूखण्ड आवंटन की दशा में एक स्पेशल परपज कम्पनी जो कि एस0पी0सी0 कहलायेगी, गठित की जायेगी। यह एस0पी0सी0 आवंटी के रूप में अपने सभी उत्तरदायित्वों को पूर्ण करेगी। रजिस्टर्ड एम0ओ0ए0 में कन्सोर्शियम के प्रत्येक सदस्य की प्रस्तावित एस0पी0सी0 में कितनी शेयर होल्डिंग होगी, इसका स्पष्ट उल्लेख होगा। एस0पी0सी0 को भारत में सक्षम अथॉरिटी से एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।	(c)	The member shall submit a registered/notarized Memorandum of Agreement (MOA) conveying their intent to jointly apply for the scheme, and in case the plots is allotted to them, to form Special Purpose Company, hereinafter called SPC, that will subsequently carry out all its responsibilities as the allotee. The registered MOA must specify the equity sha holding of each member of the consortium of in a proposed SPC. The SPC must necessarily be a company registered in India with the appropriate statutory authority.
(d)	भूखण्ड का विक्रय विलेख स्पेशल परपज कम्पनी (एस0पी0सी0) जो कि एक रजिस्टर्ड फर्म या कम्पनी होगी, के पक्ष में निष्पादित किया जायेगा। कन्सोर्शियम के लीड मैम्बर को एम0ओ0ए0 के अनुसार अपनी शेयर होल्डिंग प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट के कम से कम एक फेस के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने तक रखनी होगी।	(d)	Execution of the sale deed will be made in favour of the special purpose company (SPC) which should be registered firm or an incorporated company. The lead member of the consortium shall have to retain it's share as per MOA, till the temporary occupancy/completion certificate of at least one phase of the projects is obtained from the authority.
2.	नीलामी हेतु प्रस्तावित भूखण्डों/भवनों का विवरण तालिका–1 में अंकित है।	2.	Details of plots/Flats proposed for auction are given in the Table Annexed 1
3. **पंजीकरण :**		3.	**REGISTRATION FOR BIDDING:**
किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को बोली में भाग लेने की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह तालिकानुसार निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर, जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय एवं गाजियाबाद में भुगतान योग्य हो, नीलामी तिथि से पूर्व सन्दर्भित बैंक में जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र एवं विवरण पुस्तिका एसडीएफसी बैंक, की निम्न शाखाओं से प्राप्त किये जा सकते है एवं आवेदन पत्र बैंक मे ही जमा किए जायेगें।		Any\Person/Firm/Institution/Company will be allowed to participate in the bid only if it has a bank draft/Pay-order earnest money prescribed in the table, payable in favor of the Vice Chairman Ghaziabad Development Authority and payable at Ghaziabad. Broucher can be colleted from HDFC BANK before the date of auction. Registration fee & EMD will be deposited in following branch of HDFC BANK given bellow and the application Form must be submitted in the Bank.
Raj Nagar - Ghaziabad		Hdfc Bank Ltd, D-44, Rdc, Raj Nagag Ghaziabad UP 201001
Vivek Vihar Ashoka Niketan		Hdfc Bank Ltd, Plot No.1, Manak Vihar, Delhi, New Delhi, Delhi 110092
Meerut - Uttar Pradesh		381, Western Kachehari Road,., Meerut, Uttar Pradesh 250001
Ghaziabad - Vaishali		Vc-1, Sector- 1, Adj To Income Tax Off, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201012
Ghaziabad - Shalimar Garden		Hdfc Bank Ltd., C -8, Ocean Plaza, Shalimar Garden Extn -2, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201005
Ghaziabad - Indirapuram		Hdfc Bank Ltd., G 2 & 3 Windsor Park, 5 Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201014
Hapur - Uttar Pradesh		Railway Road 2, Nagar Palika No.2 - 1/1828, Hap, Hapur, Uttar Pradesh 245101
Bullandshahr - Uttar Pradesh		460 Dm Road, Bullandshahr, Bullandshahr, Uttar Pradesh 203001
Pilkhuwa		Hdfc Bank Ltd, Motor Stand, Delhi Garh Road, Nh- 24, Philkuwa, Ghaziabad, Uttar Pradesh 245304
RAJENDER NAGAR		Hdfc Bank Ltd, Plot No. 83, Sector-5, Rajender Nagar, Dist-Ghaziabad, Sahibabad, Uttar Pradesh 201005
Garh Road - Meerut		Hdfc Bank Ltd, Suryansh Plaza, 171/1, Taru Kunj, Garh Road, Meerut, Uttar Pradesh 250004
Muradnagar		Property No. 578 & 587, Shimla Market, Delhi Meerut Road Muradnagar 201206
Ilaichipur		KH No 320 Illaichipur Uttar Pradesh 201102
Tronica City Loni		Hdfc Bank Ltd, Shop No. 107, Rms Housing Society, Tronica City, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201102
Ansals Arcade - Sector 18 Noida		Ansals Fortune Arcade, K -Block, Sector - 18, Noida, Noida Uttar Pradesh 201301

4.	नीलामी प्रक्रिया :		AUCTION PROCESS:
(i)	बोलीदाता/आवेदक को नीलामी तिथि पर प्रातः 11:00 बजे नीलामी स्थल पर बोली में प्रतिभाग करने हेतु उपस्थित रहना होगा।	(i)	Bidder/applicant are advised to be present at 11:00 AM on prescribed date & place of auction.
(ii)	उपाध्यक्ष/नीलामी अधिकारी सभी भूखण्डों अथवा किसी भी एक भूखण्ड की नीलामी जनहित/प्राधिकरण हित में स्थगित कर सकते हैं।	(ii)	The Vice Chairman/ Auction officer can postpone the auction of all the plots or any other plot in public interest at the time of auction.
(iii)	भूखण्ड की नीलामी आरक्षित दर से अधिक दर से आरम्भ की जायेगी। दो बोलियों के बीच न्यूनतम अन्तर को नीलामी के समय सूचित किया जायेगा।	(iii)	The auction of the plot will be started from more than the reserve rate. The minimum diff erance between the two bid will be informed at the time of auction.
(iv)	''भूखण्डों का आबंटन फ्रीहोल्ड आधार पर किया जायेगा। नीलामी में जो सर्वोच्च दरें प्राप्त होगीं उनमें प्राप्त दरों का 12 प्रतिशत लीज रेन्ट व फ्रीहोल्ड चार्ज जोड़कर भूखण्ड/सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार लीज रेन्ट व फ्रीहोल्ड चार्ज सम्पत्ति मूल्य के साथ–साथ देय होगा। बहुमंजिले भवनों के प्रकरण में केवल 10 प्रतिशत लीजरेन्ट जोड़कर भवन का मूल्य निर्धारित किया जायेगा तथा भवन लीज पर ही आबंटित किये जायेंगे।'	(iv)	Allotment of plots will be done on freehold basis. The value of the plot/property will be determined by adding 12% lease rent & freehold charge to the highest rates received in auction, Thus lease rent & freehold charge will be payable along with the property cost. In the case of multistory buildings, the value of the building will be determined by adding only 10% lease rent & the buildings w ill be alloted on lease only.
(v)	कार्नर सम्पत्ति पर 05 प्रतिशत, पार्क फेसिंग पर 05 प्रतिशत तथा 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़क पर 05 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा। यदि किसी सम्पत्ति में तीनों गुण हो, तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 12 प्रतिशत अधिक होगा।		
(vi)	जिस बोलीदाता द्वारा भूखण्ड/भवन की बोली दी जायेगी, उसे अपनी बोली वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।	(vi)	The bidder who bids for the plot/building will not have the right to withdraw his bid.
(vii)	कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) उच्चतम बोलीदाता को आवंटन पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि से रू 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक सप्ताह तथा रू 5 करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक माह के भीतर जमा करानी होगी। बोलीदाता द्वारा धनराशि जमा कराने में असफल होने पर धरोहर राशि जब्त करते हुए भूखण्ड/भवन को निरस्त कर दिया जायेगा। नीलामी अधिकारी फॉल ऑफ हैमर पर प्राप्त उच्चतम बोली को नीलामी समिति के माध्यम से भूखण्ड/भवन की बोली स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने हेतु अपनी संस्तुति उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय बोलीदाता को मान्य होगा।	(vii)	25% of the total bid value (adjusting the EMD) will be paid to the highest bidder within One week from the Date of Issue of Allotment Letter in case of property with reserved price upto Rs.5 Crore & in case of property with reserve price above 5 crore, it will have to be deposited within 1 month From the Date of Allotment Letter. if the bidder fails to deposit the amount, the plot/building will be cancelled by forfeiling the earnest money. The auction officer will present his recommen dation to the Vice Chairman Ghaziabad Development Authority for accepting/ rejecting the bid of the plot/building through the auction committee on the highest bid received at the fall of hammer. VC GDA will have the power of approving/rejecting any bid.
(viii)	यदि आवेदक की बोली निरस्त अथवा अस्वीकार होती है तो धरोहर राशि बिना ब्याज के सम्बन्धित बैंक द्वारा आवेदक को वापिस कर दी जायेगी।	(viii)	If the applicant's bid is cancelled or rejected the eamest money will be returned by the concerning bank to the applicant without any interest.
(ix)	योजना के अन्तर्गत किसी वर्ग अथवा व्यक्ति विशेष को नीलामी के माध्यम से आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जायेगी।	(ix)	No preference will be given in allotment to any particular class or person under the scheme.
(x)	भूखण्ड सम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। आरक्षित दर अथवा उससे अधिक मूल्य अंकित करने पर ही आवेदक आवंटन के लिए अर्ह माना जायेगा।	(x)	The reserve price of the plot properties is fixed per square meter. The applicant will be considered eligible for allotment only if the reserve price is quoted or more.
(xi)	नीलामी समिति की संस्तुतियों को मानने या न मानने तथा बोलीदाताओं की बोली को स्वीकार करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार/अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का होगा। उपाध्यक्ष के निर्णय पर किसी भी बोलीदाता को आपत्ति का अधिकार नहीं होगा।	(xi)	The full authority/final decision to accept or not accept the recommendations of the auction committee and to accept or not accept the bidder's bid will be of the Vice Chairman Ghaziabad Development Authority. No bidder will have the right to object to the decision of the Vice-Chairman.

(xii)	भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमानित है। अन्तिम लीज प्लान/साईट प्लान प्राप्त होने पर आवंटित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत अधिक वृद्धि तक नीलामी/आवंटित दर से तथा उसके अतिरिक्त बढे हुए क्षेत्रफल की वर्तमान दर/नीलामी दर जो भी अधिक हो पर भुगतान करना होगा परन्तु सर्वप्रथम अतिरिक्त भूमि के आवंटन से पूर्व अतिरिक्त भूमि को नये भूखण्ड के रूप में सृजित किये जाने का परीक्षण कराया जायेगा।		
(xiii)	आवंटी द्वारा भूखण्ड/भवनको बन्धक रखकर ऋण प्राप्त किये जाने में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु आवंटी को भूखण्ड/भवन को बन्धक रखने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से बन्धक अनुमति प्राप्त करनी होगी। बन्धक रखने की प्रक्रिया में हुए व्यय को आवंटी द्वारा वहन करना होगा।	(xiii)	The Ghaziabad Development Authority will have no objection to the allotee obtaining the loan by mortgaging the plot/building, But the allotee will have to obtain mortgage permission from the Ghaziabad Development Authority for mortgage of the plot/building. The expenses in the process of mortgage will have to be borne by the allotee.
(xiv)	कम्पनी/सोसाइटी/फर्म द्वारा आवेदन करने पर आवेदनकर्ता को मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल एवं रेजोल्यूशन लैटर आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने हेतु अथॉरिटी लेटर भी संलग्न करना होगा।	(xiv)	On applying by the company/society/firm. It is necessary to attach the memorandum of articles and resolution letter to the applicant with the application form. The bidder should also enclose the authority letter to participate in the auction.
(xv)	यदि किसी आवेदक द्वारा स्वयं बोली में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि को इस निमित्त अधिकृत किया जाता है तो उसे विवरण पुस्तिका में संलग्न प्रारूप पर प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।	(xv)	If an applicant authorizes his representative in this behalf without participating in the bid himself, he will have to submit an authorization letter on the format attached in the prospectus.
(xvi)	आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण एवं नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया की जानकारी नीलामी शुरू होने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लें। नीलामी के समय अथवा नीलामी के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। नीलामी की सम्पत्ति का कोई अतिरिक्त सुधार/विकास करने का उत्तरदायित्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का नहीं होगा। सम्पत्ति "जहाँ है– जैसा है" के आधार पर नीलाम की जायेगी।	(xvi)	Applicants are advised to inspect the property before participating in the auction, and inform about any process related to the auction before the start of the auction. No objection will be considered at the time of auction or after the auction, The Ghaziabad Development Authority will not be responsible for additional improvement / development of the auctioned property. The property will be auctioned "as is where is basis.
5.	**आवंटन प्रक्रिया :**	5.	**ALLOTMENT PROCESS:**
(i)	आवंटन नीलामी में प्राप्त सर्वोच्च दर पर किया जायेगा।	(i)	Allotment will done on the highest rate obtained in the auction bid.
(ii)	नीलामी समाप्त होने के पश्चात् स्वीकृत बोलीदाताओं की धरोहर राशि को छोडकर शेष असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि आवेदन पत्र के साथ दिये गये विवरण (कैंसिल चैक) के अनुसार सम्बन्धित बैंक द्वारा आवेदक के बैंक खाते में 15 दिन के अन्दर हस्तान्तरित कर दी जायेगी।	(ii)	After the auction is over, except the earnest money of the successfull bidder, remaining applicants will get the refund of their earnest money within 15 days according to the detail given along with cancelled Cheque.
(iii)	सफल आवेदक को आवंटन–पत्र ईमेल/पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा।	(iii)	Allotment letter to the successful applicant will be sent by **E-mail/registered post.**
(iv)	आवंटन पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता/आवंटी द्वारा उच्चतम स्वीकृत मूल्य की अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि जमा करायी जायेगी। उक्त राशि के भुगतान हेतु कोई समयवृद्धि नहीं दी जायेगी (चैक स्वीकार्य नहीं होंगे)।	(iv)	According to the instructions mentioned in the allotment letter, the remaining 25% amount of the highest accepted price will be deposited by the successful bidder allottee. No extension of time will be given for the payment of the said amount (cheques will not be accepted).
(v)	आवेदन पुस्तिका की धनराशि वापस नही की जायेगी व धनराशि (Non Refundable) होगी।	(v)	The amount of brochure is non refundable.
6.	**भुगतान की प्रक्रिया**	6.	**MODE OF PAYMENT**
(i)	कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) उच्चतम बोलीदाता को आवंटन पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि (रू 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में) एक सप्ताह के अन्दर तथा रू 5 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक माह के भीतर जमा करानी होगी। धनराशि जमा कराने में असफल होने पर धरोहर राशि जब्त करते हुए भवन/भूखण्ड की बोली निरस्त कर दी जायेगी।	(I)	25% of the total bid amount (including earnest money) to the highest bidder within one week From the Date Of issue of Allotment Letter in case of property (upto Rs. 5 Crore) and in case of property with reserve price above Rs. 5 crore must be submitted within one month, In case of failure to deposit the amount, the bid for the building/plot will be cancelled by forfeiting the earnest money.

	(ii)	उच्चतम बोलीदाता, जिसकी बोली उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर ली गयी हो, को शेष राशि का भुगतान प्लान–ए अथवा प्लान–बी द्वारा निम्नानुसार करना होगा :–	(ii)	The highest bidder, whose bid has been accepted by Vice Chairman of Ghaziabad Development Authority will have to pay the remaining amount through plan- A or Plan-B as follows.
	(प्लान–ए)		Plan-A	
	(ए–1)	कुल बिड मूल्य (लीज रेन्ट व फ्री–होल्ड अधिभार सहित) की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) उच्चतम बोलीदाता को आवंटन पत्र प्रेषित तिथि (रू 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में) से एक सप्ताह में तथा रू 5 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक माह के भीतर जमा करानी होगी।	(A-1)	25% of the total bid price (including lease rent and free hold surcharge) After adjusting the EMD. Will have to be paid by highest bidder within one week from the date of issue of Allotment Letter in case of reserve price of Less than Rs, 5 crore, in case of reserve price of more than Rs, 5 crore, within one month.
	(ए–2)	अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन–पत्र प्रेषित तिथि से 45 दिन के अन्दर जमा करने पर 6 प्रतिशत, 60 दिन के अन्दर जमा करने पर 5 प्रतिशत एवं 90 दिन के अन्दर जमा करने पर 04 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान न करने पर विलम्ब की दशा में दण्ड ब्याज 02 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किश्तों की अनुमन्य व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त लिया जायेगा।		
	(प्लान–बी)		Plan-B	
	(बी–1)	कुल बिड मूल्य (लीज रेन्ट व फ्री–होल्ड अधिभार सहित) की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) उच्चतम बोलीदाता को आवंटन प्त्र प्रेषित तिथि (रू 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में) से एक सप्ताह में तथा रू 5 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक माह के भीतर जमा करानी होगी।	(b-1)	25% o f the total bid price (including lease rent and free hold surcharge) After adjusting the EMD. Will have to be paid by highest bidder within one week from the date of issue of Allotment Letter in case of reserve price of Less than Rs, 5 crore, in case of reserve price of more than Rs, 5 crore, within one month.
	(बी–2)	अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन–पत्र प्रेषित तिथि से (रू 5 करोड़ तक मूल्य की सम्पत्तियों) 10 छमाही किश्तों में एवं (रू 5 करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों) में 14 छमाही किश्तों में आवंटित सम्पत्तियों पर एस0बी0आई0 की एम0सी0एल0आर0 दर + 1 प्रतिशत (ऋण न लेने की स्थिति में) एवं ऋण लेने की स्थिति में ऋणदायी संस्था की ब्याज दर में एक प्रतिशत जोडकर प्राप्त दर पर निर्धारित कि तों सहित भुगतान करना होगा। रू 5.00 करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों का कब्जा आवंटी को देने के उपरान्त प्राधिकरण एवं आवंटी के मध्य एसक्रो एकाउन्ट को खोला जायेगा। यदि आवंटी द्वारा तीन किश्तें निरन्तर जमा नहीं की जाती है, तो पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।		
	(iii)	प्लान–बी के अन्तर्गत निर्धारित समयान्तर्गत किश्तें जमा न करने पर दण्ड ब्याज 02 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से की अनुमन्य व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त देय होगा। यदि निर्धारित देय तिथि से 03 माह के अन्दर धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो भूखण्ड/भवन का आवंटन निरस्त करते हुए धरोहर राशि जब्त करते हुए एवं डिफाल्टेड राशि पर ब्याज की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।		
	(iv)	आयकर विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार यदि आवंटित	(iv)	According to the notification of the Income Tax
	.	आयकर विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार यदि आवंटित सम्पत्ति का मूल्य रू 50.00 लाख से अधिक है तो आवंटी को देय धनराशि का एक प्रतिशत टी0डी0एस0 कटौती कर प्राधिकरण के स्थायी खाता संख्या (PAN) AAALG007 2C में जमा कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।	.	According to the notification of the Income Tax Department, If the value of the allotted property is more than 50.00 Lakhs, then the allottee will have to deduct one percent TDS from the payable amount and deposit the certificate in the Permanent Account Number (PAN) of the Authority AAALG0072C.

(v)	यदि आवंटी प्लान–ए स्वीकार करता है तो भूखण्ड का कब्जा आवंटी द्वारा सम्पूर्ण देय राशि जमा कराने के उपरान्त रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख निष्पादित करा कर दिया जायेगा। यदि आवंटी प्लान–बी स्वीकार करता है तो आवंटी को भूखण्ड का कब्जा कुल बिड मूल्य (12 प्रतिशत लीजरेन्ट व फ्रीहोल्ड अधिभार अतिरिक्त सहित) की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के उपरान्त रजिस्टर्ड अनुबन्ध विलेख निष्पादित करा कर दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात आवंटी प्राधिकरण के भवन निर्माण उपविधि के अनुसार प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ कर सकता है। आवंटी को स्वयं के व्यय एवं जोखिम पर भूखण्ड पर योजना प्रकाशित करने का अधिकार होगा, परन्तु प्लान बी की स्थिति में प्राधिकरण से विक्रय विलेख निष्पादित कराने से पूर्व किसी भी क्रेता को विक्रय किये गये भूखण्ड़ /सम्पत्तियों को हस्तान्तरित करने, किराये पर देने एवं उपविभाजित करने का अधिकार नहीं होगा।		If the allottee accepts Plan-A, then the possession of the plot will be done after the allottee deposits the entire due amount after getting the registered sale deed executed. If the allottee accepts Plan-B, then the possession of the Plot will be given to the allottee after depositing 25 percent of the total bid price (including 12 Percent lease rent and freehold surcharge) after getting the registered agreement deed executed. After getting the possession of the plot as mentioned above, the allottee can start construction on the plot after getting the map approved from the authority. as Per the building construction bye-laws of the authority. The allottee will have the sight to publish the plan on the plot at his own risk and expense, but in case of Plan B, he will not have the right to transfer the sold plots/property or to give on rent or sub-divide the property before the authority executes the sale deed.
(vi)	बहुमंजिलें भवनों का आबंटन लीज के आधार पर किया जायेगा।		Allotment of multi storey buildings will be done on lease hold basis.
(vii)	यदि आवंटी द्वारा भुगतान प्लान बी का चयन किया जाता है, परन्तु वह आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य जमा कर देता है तो आंवटी द्वारा पूर्व में चयन किया गया प्लान बी स्वतः ही प्लान ए में परिवर्तित हो जायेगा।		If the payment plan B is selected by the allottee, but he deposits the entire cost of the property within 60 days from the date of issue of the allotment letter, then the plan B previously selected by the allottee will be automatically converted into Plan A
7.	**विक्रय–विलेख की शर्तें :**		**7. CONDITIONS OF SALE DEED:**
(i)	क्षेत्रफल 10000 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के आवंटन पर सम्पत्ति के कुल मूल्य की 75 प्रतिशत धनराशि एवं 10000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के आवटंन पर सम्पत्ति के कुल मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध विलेख निष्पादित करते हुए एक माह माह के अन्दर भूखण्ड/सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा भूखण्ड/सम्पत्ति के अन्तिम भुगतान किये जाने पर विक्रय/पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निष्पादित किया जायेगा।		On allotment of Plots measuring up to 10,000 sq.meters 75% of the total property value and allotment of plots measuring more than 10,000 sq.meter, 50% of the total property value shall be deposited thereafter, execution of the agreement deed on the prescribed format by the Authority shall be carried out and it shall be mandatory to obtaion possession of the plot/property within one month. After payment of the entire amount of the plot/property, the sale deed/lease deed shall be executed by the Authority on the prescribed formet.
(ii)	उक्त सम्पत्ति उच्चतम बोलीदाता को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटी के रुप में प्रदान की जायेगी जिसके नियम एवं शर्तें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटी के पक्ष में निर्धारित प्रपत्र पर किये गये विक्रय विलेख/लीज डीड के आधार पर होंगी।		The said property wil be provided to highest bidder as a allottee of Ghaziabad Development Authority in which terms & condition will be based on sale deed/lease deed executed on prescribed form by Ghaziabad Development Authority.
(iii)	भूखण्ड पर भवन का निर्माण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्र के अनुसार किया जायेगा।		The construction of the building on the plot will be done according to the plan sanctioned as per the building bye laws (as amended) by Ghaziabad Development Authority.
(iv)	भूखण्ड एवं भूखण्ड पर निर्मित भवन का उपयोग मास्टर प्लान एवं विक्रय विलेख में निर्धारित उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। नीलामी हेतु प्रस्तावित भूखण्डों का उपयोग ब्रोशर में अंकित तालिका एवं समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लिखित है।		The plot and the building constructed on the plot shall not be used for any purpose other than the use specified In the master plan and sale deed. The use of plots Proposed for the auction is mentioned in the table brochure and in advertisement published in the newspaper.
(v)	आवंटी को स्वयं भूखण्ड को उप–विभाजित करने एवं अन्य किसी भूखण्ड के साथ आमेलित करने का अधिकार नहीं होगा।		The allottee shall not have the right to sub -divide the plot and merge it with any other plot.
(vi)	आवंटी कब्जा–पत्र जारी होने की तिथि से समय–समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर तथा अन्य सभी कर, जो सरकारी या किसी स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर प्रदत्त नियमो, उप नियमों या उपविधियों के अन्तर्गत भारित किये जायें, का भुगतान करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।		From the date of issue of possession letter to the allottee, all municipal taxes applicable from time to time and all other taxes which may be levied by the Governrnent or thy local body under. the rules, bye-laws or bye-laws in force from time to time, he himself will be responsible for making the payment.

(vii)	भूखण्ड/भवन की देयता के विरुद्ध बकाया धनराशि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को है। प्राधिकरण उक्त धनराशि की वसूली के लिए भू–राजस्व की भाँति रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर धनराशि की वसूली कर सकता है।	(vii)	The authority has the full right to recover the outstanding amount against liability of plots/building. Authority can recover the amount by issuing recovery certificate in form ofland revenue.
(viii)	किसी भी प्रकार की गलत सूचना या तथ्य छिपाकर भूखण्ड आवंटित होने की जानकारी होने पर या किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापिस ले लिया जायेगा, जिसका कोई भी मुआवजा आवंटी को प्रदान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के प्रकरणों में भूखण्ड के कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि आवंटी को किसी भी दशा में वापिस नहीं की जायेगी।	(viii)	On knowing that the plot has been allotted by concealing any kind of wrong information or facts or on violation of any terms and conditions, the allotment of the plot will be cancelled and possession of the plot and the building constructed on it will be taken back by the authority for which no compensation will be given to the allottee. In such cases, 25 percent of the total cost of the plot will not be returned to the allottee under any circumstances.
(ix)	आर0डी0सी0 राजनगर में क्योस्क भूखण्ड पर मात्र भूतल पर भूखण्ड के क्षेत्रफल के बराबर आच्छादन अनुमन्य है। प्रथम तल पर निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।	(ix)	In Kiosk plot in RDC Rajnagar. coverage equal to the area of the Plot is Permissible only on the ground floor Construction will not be permitted on first floor.
(x)	भूखण्ड/भवन पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जायेगा। यदि अनाधिकृत निर्माण पाया जाता है तो अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध विधिसम्मत् नियम व सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण/सील आदि की कार्यवाही की जायेगी।	(x)	No unauthorized construction will be done on the plot/building. If unauthorized construction is found, action will be taken against unauthorized construction for demolition/ sealing etc. under the legal rules and relevant sections.
(xi)	भूखण्ड/भवन का आवंटन 'जहां है, जैसा है', के आधार पर होगा एवं आवंटी को भूखण्ड का कब्जा भी "जहाँ है–जैसा है" के आधार पर दिया जायेगा, जिस पर बाद में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।	(xi)	The allotment of the plot/bu ilding will be on "as is where is" basis and the allottee will be given the possession of the plot on "as is where is" basis, on objection will be accepted latter.
(xii)	यदि किसी कारणवश प्राधिकरण भूखण्ड/भवन का कब्जा देने में सक्षम नहीं होता है तो आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि साधारण ब्याज के साथ वापस कर दी जायेगी।	(xii)	If for any reason the authority is not able to give possession of the plot/building then the entire amount deposited by the allottee will be returned with simple interest.
(xiii)	बिजली एवं पानी इत्यादि कनेक्शन आवंटी को अपने खर्चे पर लेने होगें।	(xiii)	Electricity and water etc connection will have to be taken by allottee himself at his own cost.
(xiv)	आबंटित सम्पत्ति पर भविष्य में कभी यदि जी0एस0टी0 की देयता बनती है तो जी0एस0टी0 की धनराशि आबंटी द्वारा अतिरिक्त देय होगी।	(xiv)	If any liability of service tax aries on the allotted property in future, the amount of service tax shall be payable additional by the allottee.
(xv)	बहुमंजिलें भवनों में छत के ऊपर के तल को बेचने या बनाने का अधिकार प्राधिकरण को होगा। आवंटी को भवन की छत का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा	(xv)	The authority shall have the right to sell or construct the floor above the roof in multi -storeyed building. The allottee will not have any right on the roof of the building.
	ग्रुप हाउसिंग/व्यवसायिक सम्पत्तियों में रेरा के प्राविधानों का पालन आवंटी को करना होगा।	(xvi)	Allottee will adhere to the rule & regulations of RERA. in case of group housing & commercial property.
	स्टाम्प एवं अन्य शुल्क :	8.	**STAMP AND OTHER CHARGES:**
	भूखण्ड का रजिस्टर्ड अनुबन्ध विलेख/विक्रय–विलेख निष्पादित कराने में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं अन्य किसी शुल्क का भुगतान आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। आवंटी द्वारा अचल सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का शुल्क राज्य सरकार, नगर निगम या अन्य कोई शुल्क जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित किया जायेगा, स्वयं भुगतान करना होगा।		Stamp duty, registration fee and any other charges wil be borne by the allottee for getting the registered agreement deed/sale deed executed for the plot. The allottee himself will have to pay the charges for transfer of the immovable property to the State Government, Municipal Corporation or any other charges which maybe levied by any competent authority.
9.	**अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :**	9.	**OTHER IMPORTENT TERMS:**

1. भूखण्ड से भूखण्ड में परिवर्तन अनुमन्य नही होगा।

1. प्रतिकर के सम्बन्ध में अभिनिर्णय घोषित होने के पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार किसी न्यायालय द्वारा प्राधिकरण की योजना विशेष में प्रतिकर की वृद्धि के आदेश किये जाते है तो क्रेता इस हेतु सहमत होगा कि ''आकस्मिक कारणों से हुई वृद्धि की जिम्मेदारी क्रेता द्वारा धारित भूखण्ड क्षेत्रफल भू–विन्यास योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के अनुपात में क्रेता पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी। जिसका क्रेता कोई प्रतिवाद नही करेगा।
2. पट्टा/विक्रय–विलेख निष्पादन के एक माह के अन्दर कब्जा प्राप्त न करने की दशा में क्रेता पर नियमानुसार चौकीदारा शुल्क देय होगा।
3. जब तक किसी योजना को नगर निगम को हस्तांतरित नही किया जाता है तब तक प्राधिकरण की अनुरक्षण शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी :–

- आवासीय भूखण्ड रु० 5/– प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह।
- संस्थागत/कार्यालय के भूखण्ड रु0 7.50/– प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह।
- व्यवसायिक भूखण्ड रु० 10/– प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह।
- सामुदायिक सुविधायें/स्कूल रु० 2/– प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह।
- बहुमंजिले भवन/फ्लैट्स रु० 10/– प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह (बिल्ट अप एरिया पर)।
- निर्मित दुकाने रु० 20/– प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह।

उपरोक्त दरें आयकर विभाग के कास्ट इन्डेक्स के आधार पर प्रत्येक वर्ष पुनः निर्धारित की जायेगी।

4. आवासीय सम्पत्तियों को छोडकर शेष अन्य श्रेणी की सम्पत्तियों में आवंटन निरस्त होने पर पुर्नजीवन नहीं किया जायेगा। (किसी भी परिस्थिति विशेष, सक्षम न्यायालय एवं भासन द्वारा पारित आदेशों को छोडकर)

5. किसी भी वाद विवाद की दशा में विवाद जिला न्यायालय, गाजियाबाद के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

10.		**समर्पण एवं निरस्तीकरण :**	10.	**CANCELLATION AND SURRENDER:**
	(i)	भूखण्ड/भवन का समर्पण/निरस्तीकरण नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर किया जाता है तो निम्नानुसार कटौती की जायेगी :–	(i)	Surrender/cancellation of plot/ building is done on the basis of violation of terms and conditions, then deduction will be made as follows:-
	(ii)	यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा आवंटन पत्र प्रेषित किये जान के उपरान्त निर्धारित अवधि में कुल बिड मूल्य (12 प्रतिशत लीजरेन्ट व फ्रीहोल्ड अधिभार अतिरिक्त सहित) की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) जमा नहीं करायी जाती है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।	(ii)	If the highest bidder do es not deposit 25% of the total bid price (including 12% lease rent and freehold surcharge extra) within the stipulated time fter the issue of allotment letter, then his EMD will be forfeited, be confiscated.
	(iii)	किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की स्थिति में धरोहर राशि को जब्त करते हुए एवं डिफॉल्टेड राशि पर ब्याज, यदि कोई हो तो, की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।	(iii)	In case of any surrender/cancellation, the balance amount will be returned without interest after forfeiting the EMD and deducting the interest, if any, on the defaulted amount.
	(iv)	यदि आवंटी द्वारा अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि निर्धारित तिथि में जमा नही करायी जाती है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए धारा–10(ii) एवं आदर्शकास्टिंग गाईड लाईन्स (मूलभूत सिद्धान्त), 2025 की धारा–12 के अनुसार निरस्तीकरण उपरान्त भूखण्ड को पुनः नीलामी में प्रस्तावित कर दिया जायेगा।		
	(v)	सभी रिफण्ड बिना किसी ब्याज के वापस किये जायेंगे।	(v)	All refunds will be returned without any interest.
	(vi)	नीलामी से संबंधित सम्पत्तियों की सूची प्राधिकरण के जन सम्पर्क कार्यालय एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdaghaziabad.in पर उपलब्ध है।	(vi)	The list of properties related to auction is available at the Authority's public relations office (PRO) and Ghaziabad Development Authority's website www.gdaghazibad.in.

<u>शपथ–पत्र</u>

समक्षः
उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

सत्यापित फोटो

मैं .....

पुत्र/पुत्री/पत्नी .....

जन्म तिथि .....आयु ..... वर्ष (लगभग)

निवासी .....

निम्नलिखित शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ:

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम एवं पता सब सही है।

2. कि मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक.....को नीलाम किये जा रहे भूखण्ड/दुकान/भवन संख्या ..... योजना ..... गाजियाबाद की नीलामी में बोली दाता के रुप में प्रतिभाग कर रहा/रही हूँ।

3. यह कि मैं बोली सफल होने पर सम्पत्ति आंवटन के फलस्वरुप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम हूँ।

यह कि उपरोक्त शपथ पत्र की सभी धारायें मेरे निजी ज्ञान और विश्वास में सब सत्य है कोई कथन असत्य नहीं हैं।

कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँगा/हूँगी।

स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

(नोट : शपथ प्पत्र रु. 10/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित कराकर संलग्न किया जाये।)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा
प्रस्तावित नीलामी में बोली लगाये जाने हेतु प्राधिकार-पत्र

सत्यापित फोटो

सेवा में,

नीलामी अधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद

महोदय,

मैंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक ..... को नीलाम किये जा रहे भूखण्ड/दुकान/भवन संख्या ..... योजना ..... गाजियाबाद की नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन किया है।

किन्ही कारणों वश मैं उक्त नीलामी में स्वयं भाग नहीं ले पा रहा/रही हूँ। अतः उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु मैं श्री/कु./श्रीमती .....
पुत्र/पुत्री/पत्नी .....
आयु .....वर्ष (लगभग) निवासी .....
को जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किये गये है, को नीलामी में बोली देने हेतु अधिकृत करता/करती हूँ। मेरे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जो भी बोली दी जायेगी वह मुझे पूर्णतया मान्य होगी।

भवदीय :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नामः

पताः

हस्ताक्षर प्रमाणित